

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-78/2019-20

Punjab National Bank, B.S.City Branch

बनाम्

M/s Maa Pyari Steels Pvt. Ltd.

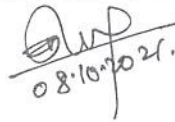
—: आदेश :-

08.10.2021

प्राधिकृत पदाधिकारी, Punjab National Bank, Bokaro Steel City Branch, Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के M/s Maa Pyari Steel Private Limited, Director & Guarantor श्री मनोज कुमार सिंह पिता स्व० अम्बिका प्रसाद सिंह, बवा० सं०-814, सेक्टर-3/डी०, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Punjab National Bank की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर बैंक का पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति 1.) Land and single storied building at plot no. 2370(P) & 2731(P) Khata No. 204 at Jaridih, Jainamore, Bokaro. Land area 65 decimal Building 620 sq.ft. in name of Sri Manoj Kumar Singh & Amol Singh. 2.) Land and Double storied residential building on Plot No. 5003, Khata No. 344 at Mouza Chas near Ambedkar Nagar. Land area 18.50 decimal Building ground floor 1101 sq.ft. F.F 671 Sq ft in name of smt. Daizy Rani Singh. 3.) Land and Single storied industrial shed on Chas Purulia road on Plot No. 7537(P), Khata No. 727 at Mouza Chas. Land area 10 decimal with single storied industrial shed in name of Manoj Kumar Singh and Daizy Rani Singh. 4.) Land with boundry wall at plot no. 5803(P), ward no 21, Khata no. 344 at religion Chas, near Ambedkar Nagar Area 18.50 decimal in the name of Manoj Kumar Singh. 5.) Vacant land at plot no. 2915, 4280, 4403, 4404, 4406 & 4408(P) Khata No. 209 at Jhalbarda area 75 decimal in the name of Arjun Kumar Singh. 6.) Vacant land at plot no. 2915, 4280, 4403, 4404, 4406 & 4408(P) Khata No. 209 at Jhalbarda area 75 decimal in the name of Sanjay Kumar Singh. 7.) Lease hold land and four storied commercial building at Plot no. B/33, City Centre Sector-4, Bokaro. Area


08.10.2021

land 2250 sq.ft. and building area 10000 sq.ft. IP in the name of Sri Manoj Kumar Singh.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 11,04,36,875/— (ग्यारह करोड़ चार लाख छत्तीस हजार आठ सौ पच्चत्तर) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.09.2015 को ही एनपीओ हो गया है। शपथ पत्र दाखिल करने की तिथि तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 11,10,08,114.08/— एवं व्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) and (2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

प्रथम पक्ष की दलील एवं अभिलेख में संघारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई कोश प्रयत्न नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे मालूम हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी के द्वारा समय आवेदन देकर सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा बराबर समय की माँग कर वाद को लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

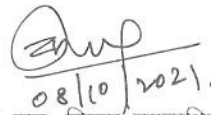
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, Punjab National Bank, Bokaro Steel City Branch, Bokaro, द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


08/10/2021

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


08/10/2021

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।